भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2062
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

दहेज संबंधी अपराध

2062. श्री गिरिधारी यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने कतिपय याचिकाओं पर सुनवाई करने के पश्चात यह आदेश पारित किया है कि दहेज संबंधी अपराधों के मामलों में कार्रवाई प्रारंभिक जांच के बाद ही की जाए;
(ख) क्या एक शिकायत मात्र के आधार पर दहेज संबंधी अपराधों के मामलों में न केवल पूरे परिवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है बल्कि प्राथमिकी में दूर के रिश्तेदारों के नाम भी शामिल कर दिए जाते हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी राज्यों को यह निर्देश जारी करने का विचार है कि दहेज संबंधी अपराधों के मामलों में प्राथमिक जांच के पश्चात ही प्राथमिकी दर्ज की जाए; और
(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपराध (दहेज से संबंधित अपराध सहित) की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार दहेज से संबंधित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। दहेज से संबंधित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दहेज कानूनों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग की सलाह देने के लिए एड्वाइज़री भी जारी की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति उत्पीड़ित न हो।

*****